Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव: मतदान व्यवहार के आलोक में अध्ययन और विश्लेषण का केंद्र बिंदु

बिन्नी कुमारी*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (बिहार) भारत

शोध सारांश – भारत विश्व के सर्वाधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जहां चुनाव केवल अपने पसंद का प्रतिनिधि बैठाकर सत्ता परिवर्तन का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह नागरिक सहभागिता, जन भागीदारी और राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक सर्वाधिक मजबूत और सशक्त माध्यम भी है। 'भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव' विषय के अंतर्गत यह पत्र भारत में विद्यमान उन संभावनाओं की तलाश का प्रयास है जो एकल चुनाव के रूप में आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर पड़ने वाले उन प्रभावों का भी विश्लेषण और अध्ययन करता है जिसमें नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता, मतदान व्यवहार तथा उसकी बदलती प्रवृत्तियां अपना योगदान देती है।

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि चुनाव प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी और उनका मतदान व्यवहार किस प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रभावकारी भूमिका निभा सकता है। साथ यह शोध मतदान के प्रभावकारी तत्व जैसे, राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा स्तर, धर्म, जाति, विकास मुद्दा, दलगत विचारधारा आदि का भी व्यापक विश्लेषण करता है तथा इसमें व्याप्त विभिन्न कमीयों को भी उजागर करता है।

इस शोध पत्र को विश्वसनीय बनाने के लिए प्राथमिक और द्वितीय सामग्री का प्रयोग किया गया है तथा निष्कर्ष के रूप में पाया गया है कि वैश्वीकरण के इस युग में जिस प्रकार से डिजिटल मीडिया का संचार बढ़ा है जनता का चुनाव को लेकर जागरूकता बढ़ी है परंतु एक चुनाव के मुद्दों पर जनसंख्या का कुछ जागरूक हिस्सा ही अधिक सक्रिय है जबकि बाकी लोगों का मतदान व्यवहार राजनीतिक तर्कशक्ति के अभाव में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय मुद्दों से भटक जाता है। जिसके लिए सुझाव के तौर पर सामाजिक राजनीतिक जागरूकता, नागरिक सक्रियता और देश के प्रति कर्तव्य का होना तथा लोकतांत्रिक परिपक्वता आवश्यक है। अत: चुनाव न केवल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है बल्कि यह जन अभिव्यक्ति का एक सशक्त साधन है जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है।

शब्द कुंजी – लोकतांत्रिक देश, जन भागीदारी, राजनीतिक अभिव्यक्ति, वैश्वीकरण, डिजिटल मीडिया, नागरिक सक्रियता, लोकतांत्रिक परिपक्वता।

प्रस्तावना – भारत वर्तमान समय में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है। यहां मतदान केवल सत्ता प्राप्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों की अभिव्यक्ति तथा राजनीति में सहभागिता का एक जीवंत प्रतीक है। यह अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह भारतीय नागरिक है। प्राचीन राजनीतिक दार्शनिक अरस्तू ने अपने ग्रंथ ष्पॉलिटिक्सष में नागरिकता और लोकतांत्रिक भागीदारी पर विस्तारपूर्वक विचार प्रकट किया हैं। उनके अनुसार, 'वही व्यक्ति नागरिक है जो चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है' (ओ.पी. गाबा)। इसी कारण लोकतंत्र की जीवंतता चुनावों के माध्यम से ही सुनिश्चित होती है। तथापि, बार-बार होने वाले चुनाव अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इनमें प्रमुख हैंकृआर्थिक एवं प्रशासनिक जटिलताएँ, आचार संहिता के कारण विकास कार्यों का ठप हो जाना, तथा जनता का लंबे समय तक राजनीतिक वातावरण में उलझे रहना। इन परिस्थितियों में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था लागू किए जाने से नागरिक सहभागिता और मतदान व्यवहार पर संतुलित प्रभाव पड़ सकता है।

शोध पत्र की पृष्ठभूमि इस विचार को गहराई से परखती है तथा 'भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव' शीर्षक के अंतर्गत यह जांच करती है कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत चुनाव प्रणाली अपनाई जाए तो नागरिक सहभागिता एवं मतदान व्यवहार पर इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं।

एक राष्ट्र एक चुनाव : अवधारणा और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य – 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा का आशय देशभर में एक ही समय पर एक साथ चुनाव सम्पन्न कराने से है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएँ तथा 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव भी संपन्न हो जाएँ (कोविंद रिपोर्ट, 2024)। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि मतदाता एक ही अवसर पर राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर सरकारों के गठन में अपनी भूमिका निभा सकें। यह उल्लेखनीय है कि यह विचार भारतीय लोकतंत्र के लिए पूर्णत: नवीन नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो 1951 में हुए प्रथम आम चुनाव से लेकर 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संयुक्त रूप से आयोजित किए जाते थे। किंतु, 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन तथा 1970 में चौथी लोकसभा का भंग होना इस प्रक्रिया को बाधित कर गया।

तत्पश्चात 1971 में लोकसभा चुनाव हुए। 1975 के आपातकाल के दौरान पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल 1977 तक बढ़ा दिया गया। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के कार्यकाल में असमानता उत्पन्न होने के कारण एक साथ चुनाव की परंपरा टूट गई और इसके पश्चात् केंद्र एवं राज्यों में पृथक्दृपृथक् समय पर चुनाव कराए जाने लगे (पीआईबी, 2024)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की चुनावी प्रक्रिया पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि देश लगभग पूरे वर्ष किसी न किसी स्तर पर चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहता है, चाहे वह राज्य विधानसभाओं के चुनाव हों अथवा लोकसभा के। इस निरंतर चुनावी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप न केवल अत्यधिक वित्तीय व्यय होता है, बल्कि व्यापक पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे सुरक्षा तंत्र पर अतिरिक्त बोझ उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, चुनावी आचार संहिता के प्रभाव से अनेक विकास कार्य भी बाधित हो जाते हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विचार बलवती हुआ कि चुनावी प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित एवं कुशल बनाने हेतु 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में अपनाई जा सकती है। यह न केवल चुनावी प्रक्रिया में दक्षता एवं पारदर्शिता ला सकती है, बल्कि शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।

भारतीय लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता का महत्व – भारतीय लोकतंत्र में नागरिक सहभागिता का विशेष महत्व है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा उत्तरदायी सरकार के निर्माण में सहायक होती है। नागरिक सहभागिता केवल चुनावी प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नीति-निर्माण, शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, विकास कार्यों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान को भी समाहित करती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की सफलता नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा आरंभ किए गए ष्मेरी सरकारष् जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को नीति-निर्माण की प्रक्रिया, विचार-विमर्श, सुझाव और शिकायत निवारण में सहभागी बनाते हैं। इस प्रकार शासन जनता की प्राथमिकताओं को समझकर नीतियों को अधिक समावेशी बना सकता है। परिणामस्वरूप शासन में पारदर्शिता, प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व की वृद्धि होती है, साथ ही सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान भी बढ़ता है। इससे जनता और सरकार के बीच संबंध अधिक प्रगतिशील बनते हैं (पाण्डेय, 2023)।

नागरिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आयाम चुनावी प्रक्रिया है। भारत का संविधान अनुच्छेद 326 के अंतर्गत नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है, जिसके अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान करने के अधिकारी हैं। प्रारंभ में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित थी, किंतु संविधान के 61वाँ संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया (एकट,1950)। यह प्रावधान लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्तवपूर्ण कदम था। लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को समझने के लिए इसे दो आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है:

1. मात्रात्मक आयाम :

- मतदान प्रतिशत %
- विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी
- चुनाव के पश्चात राजनीतिक स्थिरता
- क्षेत्रीय मतदान प्रतिशत%

यदि इन बिंदुओं का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि 1952 से 2014 तक लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत निरंतर बढ़ा है। 1952 में जहाँ यह 45.67% था, वहीं 2014 में यह 67.40% तक पहुँच गया (चुनाव आयोग)।इसके अलावे विभिन्न समूह की भागीदारी का भी अवलोकन किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत पुरुष एवं महिला का मतदान प्रतिशत प्रथम आम चुनाव से लेकर 2014 तक में लगभग बराबरी के दर्जे पर आ गया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र का मतदान प्रतिशत कुछ कारण जैसे व्यापार के लिए स्थानांतरण, मतदाता सूची में लंबे समय तक सक्रिय न रहने की वजह से नाम कट जाना,आद की वजह से कम है, वही निम्न वर्ग का भी मतदान प्रतिशत प्रथम आम चुनाव से लेकर 2014 तक में 70 फीसदी की वृद्धि तक है जो काफी अच्छा प्रदर्शन है। यह आंकड़ा इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है –

समूह	**1951-52 तक मतदान %**	**2014 में मतदान %**
पुरूष	51.5%	67.1%
महिला	37.7%	65.6%
शहरी	42%	55%
ग्रामीण	48%	67%
SC/ST	46%	70%

स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति नागरिकों की सहभागिता है, जो मुख्यत: मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त होती है। यह प्रक्रिया न केवल सत्ता-परिवर्तन का साधन है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को पुष्ट करने और जन-इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भी है। भारत जैसे विशाल देश में यह सहभागिता क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक रूप से परिलक्षित होती है और इसके आधार पर ही प्राय: सरकारों का गठन तथा राजनीतिक परिस्थितियों का निर्धारण होता है।

2. गुणात्मक आयाम:

- चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता
- महिलाओं एवं वंचित समूह की भागीदारी
- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
- दलों की विविधता

भारतीय लोकतंत्र में मात्रात्मक ही नहीं, बल्कि गुणात्मक सशक्तिकरण का भी विशेष महत्व है। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, महिलाओं एवं वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की मौजूदगी और दलों की विविधता जैसी व्यवस्थाएँ लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाती हैं। यही कारण है कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण केवल मतदाताओं की संख्या तक सीमित न रहकर, उनकी गुणात्मक भूमिका के आधार पर भी मूल्यांकित किया जाता है।

मतदान व्यवहार का स्वरुप और प्रभावित करने वाले तत्व– मतदान व्यवहार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक केंद्रीय पहलू है। गार्डन मार्शल ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि 'मतदान व्यवहार का अध्ययन इस बात पर केंद्रित होता है कि लोग क्यों वोट देते हैं और वे किस प्रकार निर्णय लेते हैं' (कांत, 2024)। मतदान व्यवहार के प्रारम्भिक अध्ययनों से यह स्पष्ट

हुआ है कि मतदान में भागीदारी सामाजिक–आर्थिक स्थिति, शिक्षा, लिंग, आयु और जातीय आधार पर परिवर्तित होती रहती है। प्रथम आधिकारिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा मतदान से दूर रहने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती हैय अशिक्षितों की तुलना में साक्षर अधिक मतदान करते हैंय वहीं कम आयु समूहों तथा दलित, पिछड़े और शोषित वर्गों में भी मतदान से विमुखता की प्रवृत्ति देखी गई है (जैन, 2015)।

भारत जैसे विशाल और बहुलतावादी समाज में जब करोड़ों नागरिक चुनाव में मतदान करने पहुंचते हैं तो उनके निर्णय अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं। इनमें नेतृत्व, दलों की विचारधारा और कार्यक्रम, जाति–धर्म की स्थिति, क्षेत्रीय मुद्दे, विकास का प्रश्न, आर्थिक परिस्थितियाँ तथा इंटरनेट मीडिया की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है –

क) नेतृत्व – इसका प्रभाव भारतीय चुनावों में सबसे निर्णायक माना गया है। 1952 से लेकर 2019 तक के आम चुनावों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई नेताओं ने मतदाताओं के निर्णय पर गहरा प्रभाव डाला। इस नेतृत्व क्षमता ने न केवल लंबे समय तक संबंधित पार्टी को सत्ता से सुशोभित रखा बल्कि, उन्हें भारतीय राजनीति में आजीवन अमर कर दिया।

ख) दलों की विचारधारा, राजनीतिक कार्यक्रम और नीतियां – चुनावी मैदान में खड़े होने वाली राजनीतिक दलो की नीतियां भी समय–समय पर मतदान को प्रभावित करती है। 1971 में इंदिरा गांधी का 'गरीबी हटाओ' का नारा, 1977 में जनता पार्टी का 'लोकतंत्र की रक्षा' का अभियान और 2014 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत ष्सुशासन एवं विकासष का मुद्दा इसके उदाहरण हैं। जिसने लोकतंत्र में बड़े स्तर पर जनता को अपनी ओर आकर्षित किया।

ग) धर्म और जाति– दोनों ही लंबे समय भारत की राजनीति में एक प्रभावी तत्व रहे हैं। धर्म कभी समाज में तनाव उत्पन्न करता है तो कभी राजनीतिक शक्ति अर्जित करने का साधन बनता है। जातिगत समीकरण भी अभी तक भारतीय राजनीति की धुरी बने हुए हैं, यद्यपि शिक्षा और शहरीकरण के विस्तार से इनके प्रभाव में धीरे–धीरे कमी आई है बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जाति आज भी राजनीति की एक विशेषता बनी हुई है (हजारिका, 2015)।तथा लोकतंत्र पर इसका प्रभाव भी बना हुआ है।

घ) इंटरनेट मीडिया/डिजिटल कैंपेन– आज सूचना–प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट मीडिया और डिजिटल अभियान भी मतदान व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालते हैं। फेसबुक, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मंचों पर राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र, प्रत्याशियों की प्रोफाइल और चुनावी वादों को प्रस्तुत करते हैं, जिससे मतदाता अधिक जागरूक होते हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है, किंतु कभी–कभी दुष्प्रचार और भ्रम फैलाने की प्रवृत्तियाँ भी सामने आती हैं, जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी मतदान व्यवहार में अंतर देखा जाता है। ग्रामीण मतदाता प्राय: जाति, भाषा, नेतृत्व और सरकारी योजनाओं के लाभों के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि शहरी मतदाता शिक्षा, रोजगार, विकास तथा भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार मतदान व्यवहार एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो नेतृत्व, विचारधारा, धर्म, जाति, सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति तथा आधुनिक तकनीकी माध्यमों से निरंतर प्रभावित होती रहती है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर मतदान का संभावित प्रभाव – 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यदि इसके प्रभावों की चर्चा की जाए तो यह स्पष्ट है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न होने पर जनता के मतदान व्यवहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे।

(क) सकारात्मक प्रभाव– बार–बार चुनाव आयोजित होने से मतदाताओं में उत्पन्न होने वाली थकान की स्थिति एक राष्ट्रीय चुनाव में समाप्त हो जाएगी, जिससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी (टाइम्स, 2025)।

सभी चुनाव एक ही समय में संपन्न होने से मतदाता अधिक केंद्रित होकर चुनावी मुद्दों का विश्लेषण कर सकेंगे, जिससे उनका मतदान व्यवहार सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होगा।

एकसाथ चुनाव होने से मतदाता राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय मुद्दों को संतुलित दृष्टिकोण से देख पाएंगे, जिससे मतदान की गुणवत्ता और सहभागिता का विस्तार संभव होगा।

बार–बार चुनाव होने की स्थिति में शासन और जनता का ध्यान विचलित हो जाता है, जिससे उनके बीच संतुलित संवाद का अभाव हो जाता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था इस समस्या को दूर कर सकती है।

प्रत्येक चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता के कारण विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे जनता शासन के लाभों से वंचित रह जाती है। यदि सभी चुनाव एक साथ संपन्न होंगे तो यह स्थिति परिवर्तित होगी तथा राजनीतिक दल चुनाव से इतर लोककल्याण के कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे (पीआईबी, 2024)।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि गत तीन वर्षों में आचार संहिता की लंबी अवधि के कारण प्रशासनिक मशीनरी लगभग 175 दिनों तक निष्क्रिय रही। यदि सभी चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएँ तो लगभग 30 से 35 प्रतिशत समय की बचत हो सकती है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है (टाइम्स ऑफ इंडिया)।

(ख)नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ– पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में यह संभावना अधिक हो सकती है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण जनता का मतदान व्यवहार एकांगी हो जाए। कई अध्ययनों से यह संकेत प्राप्त हुआ है कि मतदाताओं में किसी एक दल अथवा उम्मीदवार के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाता है, जो उनके मतदान के निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

यदि सभी स्तरों पर चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो संभव है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के मध्य संतुलन भंग हो जाए। क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय विमर्श में दब सकते हैं और परिणामस्वरूप चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इससे लोकतंत्र की बहुलवादी प्रवृत्ति, जहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का अपना–अपना महत्व होता है, क्षीण हो सकती है (राजा, 2018)।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.429 बिलियन तक पहुँच चुकी है (यूएन वर्ल्ड पापुलेशन रिपोर्ट, 2024)। यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में इतने बड़े जनसमूह के लिए एक ही समय पर चुनाव का सुचारु प्रबंधन करना, संसाधनों

की आपूर्ति सुनिश्चित करना और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

क्षेत्रीय दलों का चुनावी व्यय तथा राजनीतिक चुनाव फंडिंग प्राय: राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों की तुलना में कम होती है। इस असमानता के कारण यह आशंका रहती है कि मतदाता बड़े दलों की ओर अधिक आकर्षित हों, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो सकती है।'एक राष्ट्र, एक चुनाव' निस्संदेह बार-बार होने वाले चुनावों तथा उनसे जुड़े वित्तीय खर्च को कम कर सकता है। किंतु भारत की विशाल जनसंख्या, जिसमें लगभग 21.7 करोड़ युवा मतदाता (18 से 29 वर्ष आयु वर्ग) शामिल हैं, चुनावी व्यवस्था की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी यह उल्लेख किया कि शीघ्र ही भारत एक अरब से अधिक पंजीकृत मतदाताओं वाला देश बन जाएगा। ऐसे में मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, मतदाता सूची का अद्यतन करना तथा आवश्यक सामग्री जैसे मतदाता पर्चियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए एक जटिल दायित्व होगा (टीवी, 2025)।

चुनावी सुधार और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने की संभावना- भारत में चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि यह जनता की राजनीतिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति और क्षेत्र विशेष के लिए भविष्य की कल्याणकारी नीतियों के निर्धारण का भी माध्यम है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, निरंकुश शासन को रोकने और शासन की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चुनाव ही सत्ता की वैधता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसी कारण से चुनाव प्रक्रिया का स्वच्छ और पारदर्शी होना नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में जब 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की चर्चा हो रही है, तब चुनावी सुधार और नागरिक सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इससे सरकारों की स्थिरता, तकनीकी और सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक दलों की जवाबदेही तथा लोकतांत्रिक मूल्योंकपारदर्शिता, निष्पक्षता और समानताकृकी रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।भारत में चुनाव सुधार की चर्चा देश के प्रथम आम चुनाव से ही प्रारंभ हो गई थी।

इस दिशा में समय-समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

1. **गोस्वामी समिति (1990) –** इस समिति ने चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित करने, राजनीतिक दलों को सरकारी अनुदान उपलब्ध कराने तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर रोक लगाने जैसे सुझाव दिए। यद्यपि खर्च की सीमा तो निर्धारित की गई, किन्तु उसके प्रभावी क्रियान्वयन में अभी भी कठिनाई है। साथ ही, राज्य द्वारा वित्त पोषण की व्यवस्था अब तक लागू नहीं हो पाई है, जो ष्एक राष्ट्र, एक चुनावष् की अवधारणा में बाधक सिद्ध हो सकती है।
2. **इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) –** इस समिति ने राजनीतिक दलों को आंशिक वित्त पोषण की अनुशंसा की थी, किन्तु यह व्यवस्था आज तक लागू नहीं हुई। परिणामस्वरूप, राजनीतिक दल प्राय: बड़ी कंपनियों या निजी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिससे सत्ता में आने के बाद वे विशेष हितों की पूर्ति हेतु कार्य करने लगते हैं।
3. **वेरी समिति (1999) –** इस समिति ने चुनाव में सक्षम उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। इसके पश्चात् Union of India vs. Association for Democratic Reforms(2002) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया(कान्त, 2024)।

इन समितियों द्वारा प्रस्तुत सुधारात्मक सुझावों का पूर्ण अनुपालन 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को सफल बनाने की प्रथम शर्त है। किंतु यह पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने हेतु केवल चुनावी सुधार ही नहीं, बल्कि नागरिक सहभागिता की वृद्धि भी आवश्यक है। नागरिक सहभागिता का अर्थ केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण, सार्वजनिक चर्चा और निगरानी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी भी है। इसके लिए मतदाता शिक्षा और जागरूकता का विस्तार अनिवार्य है। डिजिटल लोकतंत्र की अवधारणा इस दिशा में सहायक हो सकती है, क्योंकि इससे निर्वाचित प्रतिनिधि सीधे जनता से संवाद कर सकते हैं और विकास योजनाओं के लाभों पर विचार-विमर्श संभव हो सकता है। तथापि, फेक न्यूज और गलत सूचना से नागरिकों को दूर रखना और सही जानकारी प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।

सुझाव – उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ष्एक राष्ट्र, एक चुनावष् का विचार केवल प्रशासनिक दक्षता या आर्थिक बचत का उपाय मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता, नागरिक सहभागिता तथा मतदान व्यवहार की गुणवत्ता से भी गहराई से संबंधित है। इस व्यवस्था को भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सफलतापूर्वक लागू करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं-

1. सर्वप्रथम मतदाता शिक्षा अभियान चलाना आवश्यक होगा, जिससे नागरिक यह समझ सकें कि संयुक्त चुनावों में उनकी भागीदारी का क्या महत्व है।
2. यदि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर बहु-चरणीय चुनाव आयोजित किए जाते हैं, तो शासन के तीनों स्तरों पर उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ चुनावी ठ की ऑनलाइन ऑडिटिंग एवं रिपोर्टिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए।
3. देशभर में प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर मतदान प्रक्रिया को अराजक तत्वों से मुक्त रखने की ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए।
4. भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक रूप से यह उपयुक्त होगा कि प्रारंभिक वर्षों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को अलग रखते हुए, राज्य विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएँ। तत्पश्चात लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समन्वित रूप से संचालित किया जाए।
5. निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि प्रतिनिधि क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय हितों की आवश्यकताओं को भली-भांति समझ सकें और उनके अनुरूप कार्य कर सकें।

निष्कर्ष – 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार केवल प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को भी नई दिशा प्रदान करने वाला है। यद्यपि इस अवधारणा के क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ और विविध चुनौतियाँ उपस्थित हैं, परंतु उचित चरणबद्ध रणनीति, सुदृढ़

प्रशासनिक एवं सुरक्षा प्रबंधन, पारदर्शी चुनावी ०नियंत्रण तथा मतदाता शिक्षा अभियान के माध्यम से इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।

इस व्यवस्था से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी, प्रतिनिधियों का जनता से सीधा संवाद सशक्त होगा तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों में संतुलन स्थापित हो सकेगा। अत: कहा जा सकता है कि ष्एक राष्ट्र, एक चुनावष भारतीय लोकतंत्र को और अधिक उत्तरदायी, सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गाबा,ओपी (2024) पाश्चात्य राजनीति विचारधारा
2. एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट(2024 मार्च, 14)
3. पीईबी (2024 दिसंबर, 17) एक राष्ट्र, एक चुनाव
4. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2085095
5. पांडे, अंकित, भारत में सुशासन के लिए नागरिक सहभागिता में सरकार की भूमिका: एक सूक्ष्म अध्ययन, इंटरनेशनल जनरल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च, 2455-2670, 2024
6. https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2023/vol9issue1/8-5-77-742.pdf
7. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
8. कांत लक्ष्मी, (2024) भारतीय राजनीति, एमसी ग्रो हिल्स एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ 582, 590।
9. जैन, पुखराज (2015) राजनीति विज्ञान, साहित्य भवन पब्लिकेशन,पृष्ठ 95
10. हजारिका बिराज (2015),वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया एंड इट्स डिटर्मिननेंट्स। जनरल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, 2279-0845।
11. https://share.google/Dk0vB77treFVzCzdg
12. टाइम्स ऑफ इंडिया। (2025, मई 21) वन नेशन वन इलेक्शन विटल फॉर हिल स्टेट लाइक उत्तराखंड।
13. https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/one-nation-one-election-vital-for-hill-states-like-uttarakhand-dhami/articleshow/121321360.cms
14. धामी, राजा वी. (2018, मई), वन नेशन वन इलेक्शनरू अरे सिमुल्टेनियस पोल ए गुड और बैड आइडिया फार इंडिया, द बेटर इंडिया।
15. https://thebetterindia.com/143182/one-nation-one-election-simultaneous-polls-good-or-bad/
16. यूएन। (2024) वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट।
17. https://population.un.org/wpp/assets/Files/WPP2024_Summary-of-Results.pdf
18. टीवी इंडिया (2025, जनवरी 23) भारत में कुल कितने वोटर हैं?
19. https://share.google/YF3e7nAVU03VUhPpm

****